Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में तहसील जोबनेर का राजस्व पटवारी 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 जून, मंगलवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राहुल त्रिवेदी राजस्व पटवारी पटवार हल्का बस्सी नागा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पत्नी एवं छोटे भाई की पत्नी के नाम बक्शीश नामा का नामान्तकरण तस्दीक करने की एवज में राहुल त्रिवेदी राजस्व पटवारी पटवार हल्का बस्सी नागा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर द्वारा **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर नगर द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुये राहुल त्रिवेदी पुत्र श्री रमाकान्त त्रिवेदी निवासी 57, महाराजा कॉलोनी, तीन दुकान, मुरलीपुरा, सीकर रोड़, जयपुर हाल राजस्व पटवारी पटवार हल्का बस्सी नागा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा आज ही एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसपर त्वरित कार्यवाही करते हुये एसीबी टीम द्वारा आज ही ट्रैप कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।